

तारीख
पेशी

2017/00/24

बनाम

हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर

श्री

श्री

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

28.09.18

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण उपस्थित। अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 01 से 04 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के आदेश दिनांक 04.01.2017 की प्रति पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल वाद का निस्तारण कर दिया है। अपील 225 राज.काशकारी अधिनियम की को दिनांक 05.04.2017 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किये जाने से यह प्रार्थना पत्र बाजदायरी पुनः रेस्टोर करने हेतु पेश किया है जब मूल वाद का निस्तारण हो चुका है तो यह प्रार्थना पत्र सारहीन हो चुका है। इसलिए प्रार्थना पत्र बाजदायरी खारिज किया जावे।
अतः प्रार्थना पत्र बाजदायरी सारहीन होने से खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों। आदेश सुनाया गया।


राजस्व असेसि/सिपिकारी
आदेश